न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 17/2015

अपीलान्ट्स

जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग, उपखण्ड मण्डोर, मुख्यालय जोधपुर जरिये सहायक अभियन्ता।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत बावरली, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. खुशालसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बासनी मनणा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 17 जो मिसल संख्या 1/2007–08 में ग्राम पंचायत बावरली द्वारा दिनांक 20.09.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री एम0 एस0 राजपुरोहित उपस्थित।

–आदेश – **दिनांक :26.11.2019**

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 17 जो मिसल संख्या 1/2007–08 में ग्राम पंचायत बावरली द्वारा दिनांक 20.09.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत को अप्रार्थी के नाम इतने बड़े भूखण्ड का पट्टा जारी करने को कोई अधिकार ही नहीं था। जिस भूमि बाबत् पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत की भूमि ही नहीं है बल्कि इस भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो जी0 एल0 आर0 बनी हुई है जिनसे ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकरण में नियम 157 के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया गया है उस पर अप्रार्थी का कोई निर्माण नहीं है। खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत मात्र 200 रूपये में जारी कर सरपंच ने बहुत बड़ी अनियमितता की है। विवादास्पद भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई मकान नहीं है नियम 157 में उसी शर्त पर पट्टा दिया जा सकता है जब

कोई 50 वर्ष पुराना रहवासीय मकान आबादी भूमि पर बना हो। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया वह नियम 145 के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियम 145 के मेण्डेटरी प्रावधानों की पालना किये बिना प्रार्थना–पत्र चलने योग्य ही नहीं था। इस कारण भी पट्टा एवं ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने 537.41 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा मात्र 200 रूपये में जारी कर दिया ऐसा करके अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई है जबकि डी0 एल0 सी0 से भी उक्त भूखण्ड की लाखों रूपये में कीमत है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूखण्ड पर पत्थन डालकर दीवार बनाने का प्रयास किया तथा लोगों द्वारा मना करने पर भी दीवार बनाना बन्द नहीं किया तथा अप्रार्थी ने कहा कि उसके पास इस भूमि का पट्टा है तब ग्राम पंचायत से प्रार्थी ने पट्टे की नकल ली तो मालूम हुआ कि गलत व गैर कानूनी पट्टा जारी किया गया है। स्वयं ग्राम पंचायत ने इस मामले में माना है कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि जन स्वा0 अभि0 विभाग की भूमि है तथा ग्राम पंचायत ने भूलवंश पट्टा जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह पंचायत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री एम0 एस0 राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया।

नियम 157 :–पुराने गृहों को विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100 रूपये
(ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये

ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जो पट्टा जारी किया गया है नियम 157 (ख) के विपरीत जाकर जारी किया गया है क्योंकि अप्रार्थी को खाली भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया जबकि नियम 157 (ख) में उल्लेख है कि 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये में पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर अधिकतम 300 वर्गगज का पट्टा जारी करने का अधिकार है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियमों के विपरीत 537.41 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया वह नियम 145 के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियम 145 के मेण्डेटरी प्रावधानों की पालना किये बिना प्रार्थना–पत्र चलने योग्य ही नहीं था। इस कारण भी पट्टा एवं ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस भूमि बाबत् पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर जन स्वा0 अभि0 विभाग विभाग की दो जी0 एल0 आर0 बनी हुई है जिनसे ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है तथा एक खेली बनी हुई है जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से पशुओं द्वारा पानी पीने में किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक श्री एम0 एस0 राजपुरोहित ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है एवं अदालतहाजा द्वारा निर्देश माफिक दिनांक 28.03.2016 को बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके बिन्दु संख्या 3 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पंचायत कार्यवाही दिनांक 20.09.2007 को भी 50 वर्षों से अधिक पुराना मकान बना हुआ स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय डिवीजन बैंच निर्णय दिनांक 21.01.2013 RRT 2015 (2) Manoher Lal v/s District Collector Barmer and others के तहत यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्टर्ड बेचान रद्द करने का अधिकार अदालतहाजा को निगरानी के जरिये नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने निरन्तर बहस में कथन किया कि अदालतहाजा द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी, बालेसर दिनांक 28.03.2016 के बिन्दु संख्या 2 पर जो जी0 एल0 आर0 बना हुआ है उक्त भूमि खसरा संख्या 180 की आबादी भूमि है एवं जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग को आवंटित नहीं है। रिपोर्ट 28.03.2016 के बिन्दु संख्या 3 पर पट्टासुदा भूखण्ड 88.5X74.5 वर्गफुट में से 10X8 वर्ग फुट पर पट्टियों का कमरा बना हुआ है एवं जी0 एल0 आर0 विवादित पट्टासुद भूखण्ड के किनारे छः फुट अन्दर बना हुआ है जो मुझ अप्रार्थी के पट्टासुद भूखण्ड के छः फुट भाग पर जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जो काबिल हटाये जाने होने से तुरन्त हटाये जाने के आदेश पारित किया जाना वांछित है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायत द्वारा नियमानुसार जांच एवं प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा दिनांक 20.09.2007 को जारी किया गया एवं पट्टा नवीनीकरण दिनांक 20.10.2009 एवं पट्टा रजिस्टर्ड दिनांक 14.12.2009 को किया गया है एवं अदालतहाजा द्वारा दिनांक 02.05.2018 को प्रार्थी जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग को निर्देश बाबत् भूमि आवंटन किसी संस्था या सरकार द्वारा किया गया हो तो प्रस्तुत करने को कहा गया था इसके बाबजूद जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई आवंटन आदेश पेश करने में असमर्थता जाहिर की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन

बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिल निरस्त योग्य है अतः निवेदन है कि पंचायत निगरानी निरस्त करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0 बी0 सिविल स्पेशल अपील संख्या 656/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017 झूमर राम बनाम अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) व अन्य के निर्णय का हवाला देते हुए कथन किया कि रजिस्टर्ड पट्टा विलेख की पंचायत निगरानी अपर जिला कलक्टर द्वारा स्वीकार की जाकर रजिस्टर्ड पट्टा विलेख को अपास्त किया गया उस निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, ग्राम पंचायत के रेकर्ड, विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया।

नियम 157 :–पुराने गृहों को विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100 रूपये
(ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये

अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह सिद्ध हो सके की अप्रार्थी पिछले 50 वर्षो से उक्त मकान में निवास कर रहा है।

ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर अधिकतम 300 वर्गगज तक का पट्टा जारी करने का अधिकार है लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमों के विरूद्ध जाकर 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी किया है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर को विवादित पट्टे की मौका जांच बाबत् लिखा गया। जिसकी जांच कार्यालय के पंचायत प्रसार अधिकारी दौलतसिंह द्वारा की गई जिसकी बिन्दुवार जांच रिपोर्ट के अनुसार जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसमें केवल 10X8 वर्गफुट पर पट्टियों का कमरा बना है एंव शेष भूमि खाली पड़ी है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया जो विधिविरूद्ध है क्योंकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा प्लॉट 88.5X74.5 वर्गफुट है जिसमें केवल 10X8 वर्गफुट पर पट्टियों का कमरा बना है एवं शेष भूमि पर कोई निर्माण नहीं है। अतः ग्राम पंचायत को खाली भूखण्ड पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है।

ग्राम पंचायत से जो रेकर्ड तलब किया गया उसमें पट्टे से संबंधित मिसल का अवलोकन किया। मिसल का अवलोकन करने पर पाया कि सम्पूर्ण मिसल में आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र तथा ग्वाहों के बयानो में भूमि के माप का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सम्पूर्ण मिसल विश्वसनीय नहीं है। मिसल में सलंग्न नक्शें में भी केवल नक्शें के माप अंकित कर रखे है लेकिन कुल कितने वर्गगज की जमीन का पट्टा जारी करना है का उल्लेख नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 खुशालसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बासनी मनणा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर को पट्टा विलेख संख्या 17 दिनांक 20.09.2007 मिसल संख्या 1/2007–08 जो अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत बावरली, तहसील बालेसर द्वारा जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बावरली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: